मध्य प्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग, मंत्रालय

=-=-=-=

क्रमांक 4-65/2001/12/1, भोपाल, दिनांक 29.1.2002

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्य प्रदेश ।

विषय:- खनिपट्टा/उत्खनिपट्टा में स्वीकृत क्षेत्रों के सीमांकन उपरांत स्थापित किए जाने वाले सीमा स्तम्भों के आकार का निर्धारण ।

संदर्भ:- विभागीय निर्देश क्रमांक एफ-19-13/2001/12/1, दि0 31/1/2001.

=-=-=-=

यह कि खनि रियायत नियमावली, 1960 के नियम 27(1)(जी) एवं मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30(1) में यह प्रावधान है कि पट्टाधारी स्वयं के व्यय पर स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन कराकर स्थायी सीमा स्तम्भ स्थापित करेगा एवं इनकी देख-रेख कर इन्हें व्यवस्थित रखेगा ।

2. प्रदेश के समस्त जिलों में खदानों के स्वीकृत क्षेत्र दर्शित करने वाले सीमा स्तम्भों के आकार में एकरूपता रहे तथा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनिजों का अवैध उत्खनन नहीं होने पाये इस दृष्टि से सीमा स्तम्भों का आकर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1) सीमा स्तम्भ का आकार संलग्न मानचित्र के अनुसार 1.0मीटर×1.20मीटर×0.80मीटर होगा ।

2) सीमा स्तम्भ का निर्माण कांक्रीट अथवा पत्थर एवं सीमेंट से किया जावेगा ।

3) सीमा स्तम्भ की नींव सतह से कम से कम 40 सेंटीमीटर नीचे रहेगी ।

4) सीमा स्तम्भ का निर्माण स्वीकृत क्षेत्र के प्रत्येक कोने पर किया जावेगा एवं प्रत्येक दो कोनों के बीच ऐसी संख्या में अतिरिक्त सीमा स्तम्भों का निर्माण किया जावेगा जिससे किसी भी स्थल से एक सीमा स्तम्भ के दोनों तरफ अगला सीमा स्तम्भ नजर आता हो ।

5§ खदान की सीमा एवं सीमा स्तम्भों के बीच पट्टाधारी द्वारा अधिभार§ Over-burden § नहीं डाला जाएगा और न ही खनन किया जावेगा ।

6§ सीमा स्तम्भ की बाहरी सतह पर प्लास्टर कर नम्बर डाला जायेगा । सीमा स्तम्भ के क्रमांक के नीचे कुल सीमा स्तम्भों का योग दर्शाया जायेगा ।

7§ सीमा स्तम्भों के क्रमांक घड़ी की सुईयों की दिशा के अनुरूप§ Clock-wise § होंगे ।

उपरोक्त व्यवस्था वर्तमान में स्वीकृत खनिपट्टों/उत्खनिपट्टों पर भी लागू होगी । अतः स्वीकृत समस्त खदानों का सीमांकन कराकर उपरोक्तानुसार सीमा स्तम्भ स्थापित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

संलग्न/उपरोक्तानुसार

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(signature)

§ ए0 के0 त्रिवेदी §
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

पृ0क्र04-65/2001/12/1, भोपाल, दिनांक 29.1.2002

प्रतिलिपि:-

1§ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, भोपाल ।

2§ मुख्य वन संरक्षक§संरक्षण§सतपुड़ा भवन, भोपाल, म0प्र0

3§ संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 35, श्यामला हिल्स, राजीव गांधी परिसर भोपाल म0प्र0

4§ समस्त खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि शाखा प्रभारी जिला की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

संलग्न/उपरोक्तानुसार

(signature)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/कक्ष-5/235 भोपाल दिनांक 4/2/2002

प्रतिलिपि

1. समस्त वन संरक्षक मध्य प्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-संर.) म0प्र0 भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(signature)

मु. व. सं. (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल